

महिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी, महवा

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्य जजु

शकुन्तला बनाम वीरमा काठि

मु. सं. 102/2020 प्राप्य

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

9.24

काज पत्रावली पेश हुई श्रील  
एक पक्ष उपस्थित। बाकि का वापस  
अहिम रूप से टिकी किया जा चुका है।  
इसलिए प्रार्थना पर अग्रार्ड निषेधाज्ञा  
को चलाने का कोई औचित्य नहीं है।  
अतः वीरमा का प्रार्थना पर अग्रार्ड  
निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। अग्रार्डिंग  
के विरुद्ध जारी लगाने के दिनांक  
26.08.2020 निरस्त किया जाता है। पत्रावली  
केसल मुमा सेवा नम्बर से कम हो।  
पत्रावली मूल वाड चलाने है।  
अग्रार्डिंग खारिज है।

उपखण्ड अधिकारी  
महवा जिला दौसा